

**श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2025 को पूछ जाने वाला
अल्पसूचित प्रश्न सं०-14 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।**

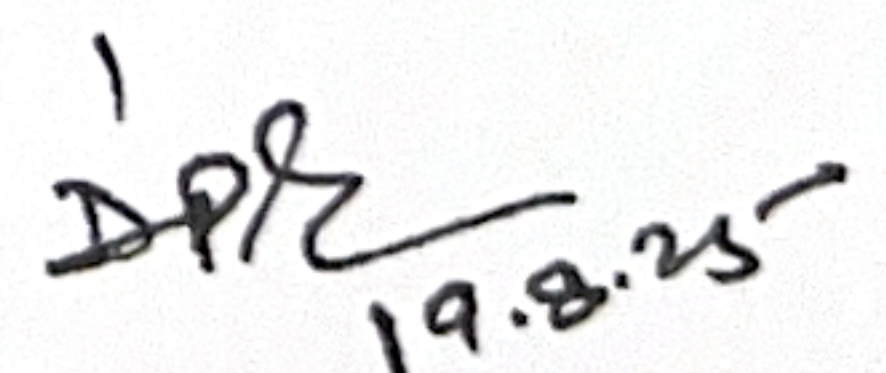
क्रम०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक-08/फार्मेसी-02-04/2024स्वा०-170(8) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अयोग्य पाये जाने के कारण श्री राहुल कुमार, फार्मासिस्ट के निबंधन सं०-JH/01702 तथा ट्रिब्यूनल निबंधन सं०-2219-JH-171 का निबंधन झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रद्द कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि संचिका के पृष्ठ-141/टि० पर योग्य सरकारी फार्मासिस्टों की सूची अंकित रहने के बावजूद तत्कालीन विभागीय मंत्री ने जान-बुझ कर गैर सरकारी व्यक्ति, श्री राहुल कुमार को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी निबंधक-सह-सचिव नियुक्त करने का आदेश दे दिया है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन विभागीय मंत्री के इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने श्री राहुल कुमार को योग्य ठहराने का षडयंत्र किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने वाली संचिका सं०-08/फार्मेसी-08-11/2024 की छायाप्रति संलग्न है, जिसके टिप्पणी भाग पृ०-169/टि० के विभागीय प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि श्री राहुल कुमार, फार्मासिस्ट को निबंधक के पद हेतु योग्य नहीं माना गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक गैर सरकारी अयोग्य फार्मासिस्ट को झारखण्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का निबंधक-सह-सचिव नियुक्त करने का षडयंत्र रचने वाले दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-08/फार्मेसी(वि०स०)-01-06/2025 207(8) स्वा०/राँची/दिनांक:- 19/8/2025

प्रतिलिपि:-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०-1896 वि०स० दिनांक-27.07.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.8.25

सरकार के अवर सचिव